न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा)

राजस्व आवेदन संख्या 27/2021 अन्तर्गत धारा 212 रा०का०अधि०

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगणा
कैलाश कंवर पुत्री देरावरसिंह पत्नी सुमेरसिंह, जाति– राजपुत, नि० नागाणासर हाल तेजमालता तह० फतेहगढ जिला जैसलमेर		1. देरावरसिंह पुत्र दीपसिंह 2. कमलसिंह पुत्र दीपसिह जाति– राजपुत, नि० नागाणासर तह० शिव 3. श्रीमान तहसीलदार शिव

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
23/3/21	प्रार्थीनी के वकील श्री महेन्द्रसिंह भाटी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 5.4.21 को पेश हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनी के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीनी के वकील की बहस है कि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जे काश्त का मौजा नागणासर पटवार हल्का झांपली कल्ला तह० शिव मे खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 265/66 रकबा 198 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीनी के दादा दीपसिह के स्वर्गवास के समय विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त खेत का फौतगी का नामान्तकरण अपने नाम से पारित करवा लिया। इस प्रकार उक्त खेत में मुतवफी दीपसिह के सभी पुत्रों का समान हिस्सा 1/2, 1/2 अनुसार नामान्तकरण संयुक्त रूप से स्वीकृत किया गया। वर्तमान समय मे प्रार्थीनी विप्रार्थी संख्या 1 के साथ वर्तमान में वादग्रस्त खसरे पर कबिज है एवं अपने 1/4 हिस्से पर काश्त करती है लेकिन वर्तमान मे जमीनों की कीमतो मे वृद्वि हो जाने की वजह से तथा विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकोर्ड मे खेत दर्ज होने की वजह से विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में दखलदांजी करता है तथा प्रार्थीनी को वादग्रस्त खेत मे उसके 1/4 हिस्से से जबरन बेदखल करने पर उतारू है तथा वादग्रस्त खेत विप्रार्थी संख्या 1 अन्य किसी को बेचान करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीनी विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीनी है कि विप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त खेतो का बंटवाडा करवाये बिना किसी भी भू भाग का बेचान या हस्तान्तरण नहीं करे तथा मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। "धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान ... या अन्य प्रकार से यह सिद्व हो जाये कि:– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे मे ... किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या ...रकीकरण किये जाने (alienated) के खतरे में है, या (ख) उक्त वाद या कार्यवाही से संबद्व कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने या उसका व्ययन (disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:59:22 IST
Reason: SelfAttested

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है.................

हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र आराजी तौर से स्वीकार किया जाकर तह0 शिव, पटवार मण्डल झाफली कला, के ग्राम नागणासर में अवस्थित वादग्रस्त अराजी खेत खसरा नम्बर 265/66 रकबा 198 बीघा भूमि के संबध में आगामी पेशी तिथि तक विप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा बैचान नही करने व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है।

विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब/तलबी हेतु दिनांक 5.4.21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

05.04.2021 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली विप्रार्थीगणों के नोटिसों का इंतजार होकर आइन्दा दिनांक 21.05.2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

21.05.21 **पत्रावली पेश हुई।**
श्रीमान पीठासीन अधिकारी के कोविड -19 संक्रमण के कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु आइन्दा दिनांक 14.07.21 को पेश हो।

14.07.21 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] जवाब हेतु आइन्दा दिनांक [illegible] को पेश हो।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

23.07.21 पत्रावली पेश हुई। विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु आइन्दा दिनांक 04.08.2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:59:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश। वाकलाय उपस्थित।

15.01.26 पत्रावली वास्ते OBPD के प्रार्थना-पत्र

पत्रावली के जवाब हेतु दिनांक 05.3.26 को पेश हो।

27 / 2021

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

5.03.26 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 10.4.26 को पेश हो।

10.4.26 पत्रावली पेश हुई। [illegible]
प्रार्थी / विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित / अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 17.4.26 को पेश हो।

17.4.26 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 01.05.26 को पेश हो।

01.05.26 पत्रावली पेश। वाकलाय अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय समय में उभयपक्ष अधिवक्ता को रुक-रुककर आवाजें दी जाने के बावजूद
29 अनुपस्थित। अतः पत्रावली में प्रभावी पैरवी नहीं होने [illegible] से अदम पैरवी [illegible] हाजरी में खारिज की जाती है।
पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:59:22 IST
Reason: SelfAttested